मानव संपदा पोर्टल

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-9/2023/418/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 18 अगस्त, 2023

विषय:- मानव संपदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राज्य कर्मचारियों को ससमय सुरक्षित त्वरित तथा पारदर्शी सेवायें प्रदान करने के संबंध में एन0आई0सी0 द्वारा विकसित मानव संपदा पोर्टल पर दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से सरकारी सेवकों के सेवा संबंधी कार्य किये जाने के निर्देश शासनादेश संख्या-7/2023/293/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2023 दिनांक 03 अगस्त, 2023 द्वारा दिये गये हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-24 के अनुसार मानव संपदा पोर्टल पर दिनांक 31.12.2023 तक अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दिया जाए।

3- कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों/ कार्यालयों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश देते हुये यह भी अवगत कराया जाए कि पोर्टल पर दिनांक 31.12.2023 तक चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत न किया जाना प्रतिकूल रूप में लिया जायेगा तथा इस संबंध में दिनांक 01.01.2024 एवं उसके पश्चात होने वाली विभागीय चयन समितियों की बैठकों में इस तथ्य का संज्ञान लेते हुये, ऐसे कार्मिकों द्वारा जब तक अपनी चल एवं अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किया जायेगा तब तक उनकी पदोन्नति के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा।

कृपया उपरोक्तानुसार समस्त परिधिगत अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है। अत: इस शासनादेश पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- शासनादेश की प्रमाणिकता http//shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-9/2023/418/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/ सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धक अकादमी, अलीगंज, लखनऊ।
4. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज/उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0 पी0 डेस्को, गोमती नगर, लखनऊ।
8. निदेशक, एन0 आई0 सी0, योजना भवन, लखनऊ।
9. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

http//shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है। अत: इस शासनादेश पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- शासनादेश की प्रमाणिकता http//shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।